ST. MARY'S SCHOOL के CLASS L.K.G. में प्रवेश हेतु नियम और प्रक्रिया

- 1. (क) यह शिक्षण संस्थान कैथोलिक मैनॉरीटी संस्थान होने के कारण खीस्तीयों को 25% या 25 % से ज्यादा प्रवेश देता है।
 - (ख) 15% सीट स्कूल के गवर्निंग बॉडी के लिए रिजर्व किये गये हैं।
 - (ग) नीचे दिये गये मापदण्ड के आधार पर बाकी सीटों पर प्रवेश होगा।

क्रम सं.		Weightage Maximum
01	शिक्षकों/स्टॉफ के छात्र/छात्रा	20
02	आस-पड़ोस के छात्र/छात्रा (एक किलोमीटर के अंदर)	10
03	संत मेरिस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भाई – बहन	
	(पहला बच्चा - 20, दूसरा बच्चा - 10)	
04	सैनिकों के बच्चे	05
05	दिव्यांगो के बच्चे	05
06	अनाथ बच्चे	05
07	जन्म से 6 महीने के अंतर्गत का जन्म प्रमाण पत्र	05

- 2. Application फॉर्म जमा करते समय असली सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए देना होगा। कृपया सर्टिफिकेट का स्वयं सत्यापित फोटो कॉपी ऑफिस प्रयोग के लिए जमा करें।
- 3. यह अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे प्रवेश फार्म को पूर्ण रूप से भरें। अगर आपका प्रवेश फॉर्म अधूरा, दुबारा लिखा हुआ और बिना किसी मददगार दस्तावेज के हो तो आपका प्रवेश फार्म इंकार किया जायेगा।
- 4. जितने भी दस्तावेज जमा हुए हैं वे स्कूल के हो जायेंगे और उसे वापस नहीं दिया जायेगा ।
- 5. अभ्यर्थियों का चुनाव प्रवेश सिमिति के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों के चुनाव में किसी भी प्रकार की सिफारिश करने पर आपका प्रवेश फार्म रद्द कर दिया जायेगा।
- 6. चयनित अभ्यर्थियों को दिये गये समय के अंतर्गत प्रवेश लेना होगा। अन्यथा अभ्यर्थी प्रवेश से वंचित किये जायेंगे।
- 7. यदि उपर दिये गये मापदंड के आधार पर प्रवेश के लिए अधिक आवेदक चयनित हो गये हैं तो उनका चयन लॉटरी के आधार पर किया जायेगा।
- 8. अगर अभ्यर्थि की आयु कम या ज्यादा है तो Application फॉर्म इंकार किया जायेगा।
- 9. प्रवेश फॉर्म / प्रवेश शुल्क किसी भी कीमत पर वापस नहीं किया जायेगा।
- 10. आयु :- अभ्यर्थी की आयु 3.5 से 4 साल, 31 मार्च 2023 तक होना चाहिए।
- 11. प्रवेश फार्म के साथ निम्न आवश्यक चीजें कार्यालय में जमा करें।
- (क) दो रंगीन फोटो माता पिता के साथ
- (ख) नीचे दिए गए प्रमाण पत्रों का फोटो कॉपी अनिवार्य –
 - (i) जन्म प्रमाण-पत्र
 - (ii) अगर खीस्तीय तो विप्तरमा सर्टिफिकेट, पल्ली पुरोहित का पत्र
 - (iii) माता-पिता का Voter ID कार्ड / बैंक पासबुक/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/आधार कार्ड कॉपी

वैकल्पिक -

- (i) अभ्यर्थी के भाई बहन (अंतिम शुल्क रसीद)
- (ii) जाति प्रमाण पत्र
- (iii) आय प्रमाण -पत्र / BPL कार्डः वार्षिक आय दो लाख से कम हो तो
- अगर आप ऊपर दिये गये नियम और प्रक्रिया से संतुष्ट हैं तो स्कूल में नामांकन कराए।
